

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 111/2023

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुभाषचन्द्र पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।

— वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
2. रघुवीर पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
3. महावीर पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
4. प्रमिला पत्नी रणजीत पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
5. निर्मल पुत्र रणजीत पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
6. डिम्पल पुत्री रणजीत पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
7. लिछमा पत्नी जगदीश पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
8. पूनम पुत्री जगदीश पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
9. शिल्पा पुत्री जगदीश पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
10. अक्षय पुत्र जगदीश पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
11. दयाराम पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
12. सावित्री पुत्री जीवनराम, पत्नी दलीप जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
13. संतोष पुत्री जीवनराम, पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी मन्नीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
14. रोशनी पुत्री जीवनराम, पत्नी दलीप जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तह0 व जिला हनुमानगढ ।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर ।
16. बैंक ऑफ बडौदा शाखा मीरा मार्ग श्रीगंगानगर जरिये शाखा प्रबंधक ।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री बलराम सुथार
अधिवक्ता श्री राकेश कुमार
पैरोकार राज श्रीगंगानगर

(वादीगण)
(प्रतिवादी 1 ता 14)
(प्रति.—15)

—:: निर्णय ::—

दिनांक 09.06.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी के नाम संयुक्त खातों में चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25, मुख्या नम्बर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

7.8 की कुल 10.941 हेक्टेयर में से 304/3646 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है एवं इसी चक के खाता संख्या 71/68, मुरब्बा नम्बर 47 की कुल 3.240 हेक्टेयर में से 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है एवं इसी चक के खाता संख्या 35/78, मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 2.404 हेक्टेयर में से 48/601 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है, जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न वाद पत्र है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, उक्त कृषि भूमि जददी जायदाद है जो कि वादी व प्रतिवादीगण को पैतृक प्राप्त हुई है और पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ और समझौता अनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 12 ने अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि का किलावाईज बंटवारा कर अपने अपने हिस्से में आये किलों में काश्त करने लगे और आज भी मौखिक पारिवारिक समझौता अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। मौखिक पारिवारिक समझौता अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जा व हिस्सा में निम्नलिखित रकबा आया-

वादी सुभाषचन्द्र के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-

चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 0.243 हेक्टेयर एवं किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 की 0.766 हेक्टेयर कुल 1.009 हेक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 71/68 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 16 में 0.126 हेक्टेयर, किला न० 17 में 0.126 हेक्टेयर, किला न० 18 में 0.126 हेक्टेयर, किला न० 19 में 0.126 हेक्टेयर, किला न० 20/1 में 0.82.5 हेक्टेयर ।

प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-

चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की 1.252 हेक्टेयर में से 1.009 हेक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 71/68 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 21 में 0.82.5 हेक्टेयर, किला नम्बर 22 में 0.127 हेक्टेयर, किला न० 23 में 0.127 हेक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0.127 किला नम्बर 24 में 0.127 हेक्टेयर


प्रतिवादी संख्या 2 रघुवीर के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:- चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 में 0.474 हेक्टेयर व किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23 में 0.535 हेक्टेयर कुल 1.009 हेक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 71/68 किला नम्बर 16 में 0.127 हेक्टेयर, किला न० 17 में 0.127 हेक्टेयर, किला न० 18 में 0.127 हेक्टेयर, किला न० 19 में 0.127 हेक्टेयर, किला न० 20/1 में 0.82.5 हेक्टेयर।

प्रतिवादी संख्या 3 महावीर के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-

चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23 में 0.679 हेक्टेयर व किला नम्बर 29, 12, 19, 22 की 1.064 हेक्टेयर में से 0.330 हेक्टेयर कुल 1.009 हेक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 71/68 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 21 में 0.82.5 हेक्टेयर, किला नम्बर 22 में 0.126 हेक्टेयर, किला न० 23 में 0.126 हेक्टेयर, किला नम्बर 24 में 0.126 हेक्टेयर व किला नम्बर 25 में 0.126 हेक्टेयर।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-

चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22 की 1.064 हेक्टेयर में से 0.834 हेक्टेयर व किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में 0.175 हेक्टेयर कुल 1.009 हेक्टेयर व इसी चक के खाता सं० 71/68 के किला न० 11, 12, 13, 14, 15 में से किला न० 12 ता 15 प्रत्येक 0.126 हेक्टेयर व किला न० 11 में 0.82.5 हेक्टेयर।


अधीकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-
चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/
25, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में 1.014 हेक्टेयर व इसी चक के
खाता सं० 71 /68 के किला न० 11,12,13, 14, 15 में से किला न० 12 ता 15 प्रत्येक में
0.127 हेक्टेयर व किला न० 11 में 0.82.5 हेक्टेयर ।

प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-
चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25,
मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 25 की 5.502 हेक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या
35/78 मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 10/1 में 0.165 हेक्टेयर ।

यह कि मौखिक पारिवारिक समझौता अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 14 का
अपने अपने हिस्सा में आए रकबा पर कब्जा काशत बंटवारा के रोज से चला आ रहा है तथा
वादी ने अपने हिस्से व कब्जे में आए रकबा में भारी मेहनत व खर्चा लगाकर सुधार कार्य
करवाकर रकबा को काफी ऊपजाऊ व काबिल काशत बनाया है ।

वादी ने प्रतिवादीगण 1 ता 14 से बार बार आग्रह किया कि वह मौखिक पारिवारिक
समझौता अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अपने अपने नाम किलावाईज दर्ज करवाये मगर
प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुए दिनांक 23.05.2023 को साफ इंकार हो गये, अतः यही वाद
कारण है तथा वादी के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है । प्रतिवादी संख्या 15 लैण्ड
होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है । प्रतिवादी संख्या 16 के पास भूमि रहन होने के कारण
आवश्यक पक्षकार है । वादग्रस्त रकबा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है
तथा उचित न्यायशुल्क पर तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के पेश है ।


लिहाजा दावा वादी पेश कर निवेदन है कि दावा वादी, बहक वादी खिलाफ
प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:-

(क) डिक्री घोषणा व खाता विभाजन इस अमर की सादिर की जावे कि मौखिक
पारिवारिक समझौता अनुसार चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील
श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 78 की 10.941 हेक्टेयर व
इसी चक के खाता संख्या 35/78, मुरब्बा नम्बर 4 की 2.404 हेक्टेयर व इसी
चक के खाता सं० 71/68 के मुरब्बा नम्बर 4,7 की 3.024 हेक्टेयर का
किलावाईज बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 14 के मध्य किया जाकर वादी के
नाम चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या
36/25, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 0.243 हेक्टेयर एवं किला
नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 की 0.766 हेक्टेयर कुल 1.009 हेक्टेयर व इसी चक के
खाता संख्या 71/68 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 16 में 0.126 हेक्टेयर,
किला न० 17 में 0.126 हेक्टेयर, किला न० 18 में 0.126 हेक्टेयर, किला न०
19 में 0.126 हेक्टेयर, किला न० 20/1 में 0.82.5 हेक्टेयर रकबा राजस्व रिकॉर्ड
में दर्ज करने, मामला लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे ।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । वादीगण एवं प्रतिवादीगण
द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें
अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान सदर के मुकदमा में उक्त प्रकरण श्रीमान जी के न्यायालय
में विचाराधीन है । उक्त प्रकरण में पक्षकारान अपने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर
दिया है अब पक्षकारान उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है ।


उपखण्ड अभिचारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 1 मोहन लाल के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-

चक 17 जीजी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25 मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.252 नं. है० में से 1.009 है० व इसी चक के खाता संख्या 71/68 के मुरब्बा 4 के किला नं. 21 में 0.82.5 है० किला नं. 22 में 0.127 है०, किला नं. 23 में 0.127 है० किला नं. 24 में 0.127 है० व किला नं. 25 में 0.127 है० प्रतिवादी संख्या 2 रघुवीर के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-

चक 17 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25 मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 मे 0.474 है० व किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में 0.535 है कुल 1.009 है० व इसी चक के खाता संख्या 71/68 के किला नं. 16 में 0.127 है० किला नं. 18 में 0.127 है०, किला नं. 19 में 0.127 है० किला नं. 20/1 में .0.82.5 है०।

प्रतिवादी संख्या 3 महावीर के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-

चक 17 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25 मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में 0.679 है० किला नं. 2,9, 12, 19, 22 की 1.064 है० में से 0:330 है० कुल 1.009 है० व इसी चक के खाता संख्या 71/68 के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 21 में 0.82.5 है० किला नं. 22 में 0.126 है०, किला नं. 23 में 0.126 है० किला नं. 24 में 0.126 है० व किला नं. 25 में 0.126 है०

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-

चक 17 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25 मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 की 1.064 है० में से 0.834 है० व किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 0.175 है० कुल 1.009 है० व इसी चक के खाता संख्या 71/68 के किला नं. 12, 13, 14, 15 में से किला नं. 12 ता 15 प्रत्येक 0.126 है० व किला नं. 11 में 0.82.5 है०

प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के हिस्सा में आये रकबा का विवरण:-


चक 17 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25 मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 1.014 है० व इसी चक के खाता संख्या 71/68 किला नं. 11, 12, 13, 14, 15 में से किला नं. 12 ता 15 प्रत्येक में 0.127 है० व किला नं. 11 में 0.82.5 है०

प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 के हिस्सा में आये रकबा का विवरण :-

चक 17 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/25 मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 1 ता 25 की 5.502 है० व इसी चक के खाता संख्या 35/78 मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 6, 7, 8, 9, 10/1 में 0.165 है० लिहाजा राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति होने एवं प्रकरण में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से तनकी कायम नहीं की जाती है। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में बहस सुना जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों, प्रस्तुत जमाबन्दी चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या-71/68, जमाबन्दी चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या-35/78, अवलोकन से स्पष्ट है वादी विभाजन करवाने का अधिकारी पाये जाने पर वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 647 दिनांक 24.04.2024 के विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वकील वादी एवम् वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

॥ आदेश ॥

अतः वाद वादी मुताबिक प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :-

क. सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	सुभाष चन्द्र पुत्र लक्ष्मण राम जाति जाट निवासी नेतेवाला	चक 17 जी जी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 20(0.095), 19(0.120), 18(0.126), 17(0.126), 16(0.126), कुल 0.599 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5(0.047), 6(0.049), 15(0.049), 16(0.049), 25(0.049), 4(0.140), 7(0.157), 14(0.156), 17(0.157), 24(0.156) कुल 1.009 यथा कुल 1.608 हैक्टर नहरी मय खाला
2	अक्षय सहारण 0.563 हैक्, पुनम 0.340 हैक्, शिल्पा 0.340 हैक्, लिछमा देवी पत्नी जगदीश 0.341 हैक्. जाति जाट साकिन नेतेवाला	चक 17 जी जी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 11(0.095), 12(0.127), 13(0.127), 14(0.127), 15(0.127), कुल 0.603 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1(0.151), 10(0.215), 11(0.216), 20(0.216), 21(0.216) कुल 1.014 यथा कुल 1.617 हैक्टर नहरी मय खाला
3	डिम्पल 0.452 हैक्, निर्मल सहारण 0.705 हैक्. प्रमिला पत्नी रणवीर उर्फ रणजीत 0.452 हैक्. जाति जाट साकिन नेतेवाला	चक 17 जी जी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 11(0.095), 12(0.126), 13(0.126), 14(0.126), 15(0.126), कुल 0.599 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1(0.026), 10(0.038), 11(0.037), 20(0.037), 21(0.037), (0.109), 9(0.181), 12(0.182), 19(0.181), 22(0.181) कुल 1.009 यथा कुल 1.608 हैक्टर नहरी मय खाला


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर


4	रघुवीर पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी जाट साकिन देह खातेदार	चक 17 जी जी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 16(0.127), 17(0.127), 18(0.127), 19(0.127), 20(0.095), कुल 0.603 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 3(0.089), 8(0.112), 13(0.111), 18(0.112), 23(0.111), 4(0.088), 7(0.096), 14(0.097), 17(0.096), 24(0.097) कुल 1.009 यथा कुल 1.612 हैक्टर नहरी मय खाला
5	महावीर पुत्र लक्ष्मण जाति जाट साकिन देह खातेदार	चक 17 जी जी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 21(0.095), 22(0.126), 23(0.126), 24(0.126), 25(0.126), कुल 0.599 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 2(0.043), 9(0.072), 12(0.071), 19(0.072), 22(0.072), 3(0.113), 8(0.141), 13(0.142), 18(0.141), 23(0.142) कुल 1.009 यथा कुल 1.608 हैक्टर नहरी मय खाला
6	मोहन लाल पुत्र लक्ष्मण राम जाति जाट साकिन नेतेवाला	चक 17 जी जी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 21(0.095), 22(0.127), 23(0.127), 24(0.127), 25(0.127), कुल 0.603 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5(0.193), 16(0.204), 15(0.204), 16(0.204), 25(0.204), कुल 1.009 यथा कुल 1.612 हैक्टर नहरी मय खाला

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.06.2025 को जारी किया गया।


(रणजीत कुमार)
जुजुमसुद अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर